न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर पीठासीन अधिकारी श्री मनमोहन व्यास RAS.

राजस्व वाद सं 90/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
शेरसिंह पुत्र सुखसिंहजी जाति - रावणा राजपूत निवासी - हरजी तहसील - आहोर		1. संगामा पुत्र मोती फौत के कायम-मुकाम 1/1 तोलाराम पुत्र संगामा 1/2 सोनी पुत्री संगामा 1/3 जबु पुत्री संगामा 1/4 मूली पुत्री संगामा 1/5 सुखी पुत्री संगामा 1/6 रुखी पुत्री संगामा 1/7 मारकी पुत्री संगामा 2. दनाराम पुत्र मोती जातियान - कलबी निवासीगण - आहोर 3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा U/s 53,188 R.T. Act

उपस्थिति :- श्री गोपाल जीनगर वकील वादी
श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित वकील प्रति.

निर्णय

दिनांक 20-12-17

वादी द्वारा दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि सरहद मौजा आहोर में स्थित खातेदारी खसरा नम्बर 352, 353 कुल रकबा 2.35 हैक्टर की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम शामलाती है वादी 1/3 हिस्से का खातेदार होने से बाई विरासत एवं वाकेआत के आधार पर रास्ते की सुविधा प्राप्त करते

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)

उसे बंटवाड़ा करवाने का कानूनन अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण 2/3 हिस्से के हकदार है। प्रतिवादी के 2 हिस्सा फौत हो जाने से उनके वारिसान को कायम मुकाम की हैसियत से दावे में पक्षकार संयोजित किया गया है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग-अलग कब्जा है। राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं होने से एक दूसरे के हिस्से में दखलंदाजी होती है। जिससे वाद-विवाद बढ़ता है। इसलिए वादी अपने हिस्से का विभाजन करवाने का अधिकारी है। बंटवाड़े के दौरान वादी के हिस्से में आने 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का भी वादी कानूनन हकदार है। दिनांक 20/11) को सहमति से विभाजन करवाने हेतु वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कहने पर उन्होंने असहमति जाहिर की तब मूल रूप से विवाद दावा उत्पन्न होने पर वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। अतः डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर जारी की जावे कि:-

(क) कि ग्राम आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 352, 353 कुल रकबा 2.35 हैक्टेयर में से वादी के 1/3 हिस्से का जरिये वार्ड मिट्स एण्ड बाउण्ड्री के आधार पर बंटवाड़ा किया जाकर अलग से खाते का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार आहोर को आदेशित करावें।

(ख) कि बंटवाड़े के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि में रास्ते को भी अलग से अमल दरामद किया जाकर उसकी पालना हेतु तहसीलदार आहोर को लिखा जावे।

(ग) कि अन्य अनुतोष न्यायालय उचित समझे प्रदान करावें।

(घ) कि हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये समन के प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। सुनवाई के दौरान

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)

प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादी श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित द्वारा वकालतनामा के साथ प्रार्थना-पत्र बाबत दावा जरिये राजीनामा फैसला करवाने पेश किया गया। जिसके उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1/1 से 1/7 व 2 की ओर से प्रस्तुत स्वयं से लिखा हुआ राजीनामा व नक्शा शैड्यूल 'अ' पेश किया गया। जिसमें यह लिखा हुआ है, कि पक्षकारान ने आपस में लोक अदालत की भावना से सरहद मौजा आहोर के खातेदारी खसरा नं 352, 353 की भूमि का बंटवारा कर दिया है। जिसका नक्शा शैड्यूल 'अ' अलग से बनाया गया है, जिसे राजीनामा का एक भाग माना जावे। शैड्यूल 'अ' में मार्क ABCD भू-भाग वादी शेरसिंह के हिस्से में आया है जिसका कुल दोनो खसरो का 1/3 हिस्सा होगा। जिसमें यद्यपि उत्तर दिशा की तरफ से कैडे रास्ता दर्ज है, लेकिन अलग तरमीम करने की स्थिति में यदि उक्त भाग मार्क ABCD तक रास्ता नहीं मिलने की स्थिति में रास्ता दर्ज किया जायेगा जो सेकंड रास्ता पूर्व दिशा की तरफ मार्क ABCD भू-भाग तक दर्ज किया जा सकेगा। जिसका रकबा कम करने के बाद शेष भूमि में 1/3 हिस्सा वादी के नाम अलग से दर्ज होगा। नक्शा शैड्यूल 'अ' में CDEF भू-भाग प्रतिवादीगण का शामलाती रहेगा जिसका कुल रकबे में से 2/3 हिस्सा रहेगा। इस राजीनामा के समस्त पक्षकारान पाबन्द रहेंगे। राजीनामा एवं नक्शा शैड्यूल पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर/अंगूठे किये हुए है तथा दोनो के अधिवक्तागणों के भी हस्ताक्षर किये हुए हैं। इस प्रकार लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी माफिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। मौजा आहोर के खसरा नं 352, 353 के नक्शा शैड्यूल 'अ' में मार्क ABCD भाग वादी के बंट में एवं मार्क C, D, E, F भाग प्रतिवादीगण के बंट में रहेगा। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)

नक्शा बीड़सूल 'अ' को इस निर्णय का अभिन्न अंग समझा जावेगा। तहसीलदार आहोर माफिक राजीनामा शामिल रेकर्ड में अमल दरामद करे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है, कि पक्षकारान एक-दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे और न अन्य किसी से करावें। डिक्री पर्चा मुताबिक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

[illegible] RAS
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला-जालोर)

[illegible] अधिकारी आहोर